


राजस्थान सरकार  
निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर.

क्रमांक:-निसंशि/संस्थापन/2015/ 4622-6755 जयपुर, दिनांक:- 2.7.2015

आदेश

विगत समय में विभाग द्वारा सभी संवर्गों के स्थानान्तरण आदेश जारी किए गए हैं। स्थानान्तरण आदेशों में जिन शिक्षकों/कर्मचारियों का प्रशासनिक दृष्टि से स्थानान्तरण किया गया है, उन शिक्षकों/कर्मचारियों को निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यारम्भ करना है। इसके साथ ही सम्बन्धित संभागीय शिक्षाधिकारियों एवं संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि जिन शिक्षकों/कर्मचारियों का प्रशासनिक दृष्टि से स्थानान्तरण किया गया है उन्हें तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित स्थान के लिए कार्यमुक्त करें। यदि इन आदेशों की अनुपालना सम्बन्धित संभागीय शिक्षाधिकारियों/संस्था प्रधानों एवं शिक्षक/कर्मचारी द्वारा नहीं की जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


भवदीय,

  
(प्रो० लक्ष्मी नाराण आसोपा)  
निदेशक,  
संस्कृत शिक्षा, राज०, जयपुर.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्राचार्य/प्रधानाध्यापक, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, वरि० उपा० संस्कृत विद्यालय/प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय/उच्च प्राथमिक संस्कृत/प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, राजस्थान, जयपुर. को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

  
(प्रो० लक्ष्मी नाराण आसोपा)  
निदेशक,  
संस्कृत शिक्षा, राज०, जयपुर.